

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 23/2016 अपील

- | | | |
|---|------|--|
| 1. श्री नाथु लाल पुत्र श्री शोभालाल सेन मृतक के बजाय – | बनाम | 1. श्री गणपत पुत्र श्री भज्जा नाई निवासी पाटन तहसील बदनोर |
| 1/1 श्रीमती लादी देवी पत्नी स्व. नाथू सेन निवासी पाटन | | 2. श्री पूरण पुत्र श्री भज्जी नाई निवासी पाटन तहसील बदनोर हाल निवासी भगवानपुरा, तहसील बदनोर |
| 1/2 पुजा पुत्री स्व. नाथू सेन निवासी पाटन | | 3. श्रीमति सीता पुत्री श्री भज्जा नाई पत्नि श्री रतन लाल नाई निवासी पाटन हाल निवासी बालापुरा तहसील बदनोर |
| 1/3 किरण पुत्री स्व. नाथू सेन निवासी पाटन नाबा. जरिये प्राकृतिक संरक्षण माता श्रीमती लादी देवी | | 4. श्रीमति बदामी पत्नि श्री भज्जा नाई निवासी पाटन हाल निवासी भगवानपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा राज. |
| 1/4 दीपक पुत्र स्व. नाथू सेन निवासी पाटन नाबा. जरिये प्राकृतिक संरक्षण माता श्रीमती लादी देवी | | 5. श्री पारस पुत्र श्री हगामा नाई निवासी पाटन हाल निवासी भगवानपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा राज. |
| 1/5 गजेन्द्र पुत्र स्व. नाथू सेन निवासी पाटन नाबा. जरिये प्राकृतिक संरक्षण माता श्रीमती लादी देवी निवासी पाटन तहसील बदनोर | | 6. श्रीमति गीता पत्नि श्री हगामा नाई निवासी पाटन हाल निवासी भगवानपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा राज. |
| 2. पुखराज पिता शोभालाल सेन निवासी पाटन तहसील बदनोर | | 7. श्री कृष्णगोपाल पुत्र श्री कुन्दनमल नाई निवासी पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा राज. |
| 3. श्रीमती दुर्गा सेन पत्नी शोभालाल सेन निवासी पाटन तहसील बदनोर जिला भीलवाड़ा | | 8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाड़ा राज. |

–अपीलार्थी

– विपक्षीगण

अपील विरुद्ध नामान्तरण संख्या 1651 दिनांक 30/05/2016 निर्णय नायब तहसीलदार बदनोर (आसीन्द) जिला भीलवाड़ा अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम


उपस्थित –

1. श्री के.सी. पाराशर, नीरज पाराशर अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से
2. गोपाल अजमेरा, सत्यनारायण सोमानी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1 से 7 की ओर से
3. श्री दिनेश तिवाड़ी राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 08 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.11.2021

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नायब तहसीलदार बदनोर में ग्राम पाटन की आराजी संख्या 2865, 2866, 2867, 2881 कुल किता 04 रकबा 0.30 हैक्टर भूमि बाबत आलोच्य नामान्तरकरण आदेश पारित किया है, जो सर्वथा विधि विरुद्ध है। अपील में अंकित सजरे



अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अनुसार अपीलान्टान का उपरोक्त वर्णित आराजीयात में 1/2 हक व हिस्सा कानूनन बनता है और शेष 1/2 हक व हिस्से में से रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से लगायत 04 का 1/4 हक व हिस्सा एवं शेष 1/4 हक व हिस्सा रेस्पोजेन्ट संख्या 05 व 06 का बनता है इसी हक व हिस्से अनुसार अपीलान्टान व रेस्पोजेन्टान् संख्या से 01 लगायत 06 मोक़े पर काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन राजस्व माली कागजात जमाबन्दी में रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से लगायत 04 व रेस्पोजेन्ट संख्या 05 व 06 का 1/3 - 1/3 हक व हिस्सा इन्द्राज हो जाने से नाजायज लाभ उठाने की गरज से उपरोक्त वर्णित आराजीयात में निहित अपने 1/4 हक व हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय रेस्पोजेन्ट संख्या 07 के पक्ष में गलत तरीके से विक्रयपत्र निष्पादित करा दिया जबकि मोक़े पर रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से लगायत 06 का कब्जा अपने वास्तविक 1/4 हिस्से की भूमि पर ही है। इस प्रकार रेस्पोजेन्ट संख्या 01 से लगायत 06 ने रेस्पोजेन्ट संख्या 07 के पक्ष में गलत विक्रयपत्र निष्पादित कराया जिसके आधार पर खोला गया आलोच्य नामान्तरकरण आदेश सर्वथा विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिजी के है।

विवादित आराजीयात पर रेस्पोजेन्ट संख्या 07 का मोक़े पर दखल आराजीयात नहीं है। विवादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण खोल नायब तहसीलदार बदनोर ने रेस्पोजेन्ट 07 का नाम दर्ज किया, जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त होने योग्य है अर्थात् विवादग्रस्त आराजीयात पर अपीलान्टान का ही कब्जा हो चला आ रहा है। नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व आराजीयात पर कब्जा बाबत् मोक़े की रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिये, जो नहीं मंगवाई गई। विवादित आराजीयात में आलोच्य नामान्तरकरण आदेश से रेस्पोजेन्ट संख्या 07 का नाम दर्ज किया जो गलत है क्योंकि रेस्पोजेन्ट संख्या 01 लगायत 06 का विवादित आराजीयात में जब वास्तविक हिस्सा ही 1/4 - 1/4 भूमि का है, तो रेस्पोजेन्ट संख्या 01 लगायत 06 कैसे व किस प्रकार अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि का बिकाव बिना कब्जा होते हुये बिकाव कर सकते हैं और रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 6 द्वारा बिना अधिकार के किये गये विक्रयपत्र के आधार पर रेस्पोजेन्ट संख्या 07 का कोई हक अधिकार सृजित नहीं होने से विवादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 1651 निर्णय दिनांक 30/05/2016 विधि विरुद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। विवादित नामान्तरकरण फैसल होने से पूर्व से ही अपीलान्टान विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं और दखल आराजीयात अपीलान्टान का ही हो चला आ रहा है।

जिसकी जाँच कराये बिना ही आलोच्य नामान्तरकरण नायब तहसीलदार बदनोर द्वारा खोला गया, जो नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुये विधि विरुद्ध खोले गये, जो




(Handwritten signature)


अति. जिला कलेक्टर
भिलवाड़ा

निरस्त होने योग्य है। निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार बदनोर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1651 दिनांक 30/05/2016 को अपास्त फरमाया जावें तथा राजस्व रेकाड में रेस्पोजेण्ट संख्या 07 के नाम विलोपित कराया जाकर अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अजसिरे नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने बाबत आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।


अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टान का ग्राम पाटन की आराजी संख्या 2865, 2866, 2867, 2881 कुल किता 04 रकबा 0.30 हैक्टर में 1/2 हक व हिस्सा कानूनन बनता है और शेष 1/2 हक व हिस्से में से रेस्पोजेण्ट संख्या 01 से लगायत 04 का 1/4 हक व हिस्सा एवं शेष 1/4 हक व हिस्सा रेस्पोजेण्ट संख्या 05 व 06 का बनता है इसी हक व हिस्से अनुसार अपीलान्टान व रेस्पोजेण्टान् संख्या से 01 लगायत 06 मोकें पर काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन राजस्व जमाबन्दी में रेस्पोजेण्ट संख्या 01 से लगायत 04 व रेस्पोजेण्ट संख्या 05 व 06 का 1/3 - 1/3 हक व हिस्सा इन्द्राज हो जाने से उपरोक्त वर्णित आराजीयात में निहित अपने 1/4 हक व हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय रेस्पोजेण्ट संख्या 07 के पक्ष में गलत तरीके से विक्रयपत्र निष्पादित करा दिया जबकि मोकें पर रेस्पोजेण्ट संख्या 01 से लगायत 06 का कब्जा अपने वास्तविक 1/4 हिस्से की भूमि पर ही है। इस प्रकार रेस्पोजेण्ट संख्या 01 से लगायत 06 ने रेस्पोजेण्ट संख्या 07 के पक्ष में गलत विक्रयपत्र निष्पादित कराया जिसके आधार पर खोला गया आलोच्य नामान्तरकरण आदेश सर्वथा विधि विरुद्ध होने से काबिल खारिजी के है। अपीलार्थी को उक्त आराजीयात पर मा. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आसीन्द से दिनांक 30.10.2017 को विपक्षी के विरुद्ध स्टे जारी किया गया। उक्त आराजी पर अपीलान्ट व उनके पिता का 2 पीढी से कब्जा चला आ रहा हैं। सिविल कोर्ट ने भी कब्जा अपीलान्ट का माना हैं। जिस पर पक्की दीवार बनवा दी है व पक्का दरवाजा बना रखा है। विपक्षीगण का उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है। अपीलान्ट के नाम गोइमामा हैं। निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार बदनोर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1651 दिनांक 30/05/2016 को अपास्त फरमाया जावें तथा




जति. जिला कलक्टर
अलवर

राजस्व रेकार्ड में रेस्पोजेण्ट संख्या 07 के नाम विलोपित कराया जाकर अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये अजसिरे नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने बाबत आदेश प्रदान कराया जावे। अपीलान्ट अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त सिविल अपील नं. 7764 ऑफ 2014 (सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया) टाईटल रविन्द्र कौर बनाम मंजीत कौर, जितेन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश व अन्य, 2010 डीएनजे (एस.सी.) पेज नं. 632, ए.आई.आर. 1995 (राज.) 94, खेमा बनाम श्री भगवान, डीएनजे (राज.) 1996 जुगल किशोर बनाम बांकेलाल व अन्य, ए.आई.आर. 1996(मद्रास) 440, सिविल लॉ टाईम (एच.सी.) 335 पेश किये।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस व लिखित बहस में बताया कि अपीलान्टगण द्वारा नायब तहसीलदार बदनौर के नामान्तरण संख्या 1652 दिनांकित 30.05.2016 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है, जिसमें समस्त तथ्य नितान्त असत्य एवं आधारहीन वर्णित किये है। अपील में जो परिवार का सजरा वर्णित किया है, वह भी नितान्त असत्य वर्णित किया है। शोभालाल को भोलाराम के गोद जाने का नितान्त असत्य तथ्य वर्णित किया है। वास्तविक तथ्य यह है कि हमीरा के दो पुत्र भोलाराम व तेजाराम हुए तथा तेजाराम के चार लड़के शोभा लाल, भज्जा, काना, हगामा हुए तथा भोलाराम के कोई पुत्र-पुत्री नहीं हुए तथा उसकी पत्नी चन्द्री का भी निधन हो गया है। इस प्रकार भोलाराम की समस्त विरासत तेजाराम में निहित हुई है तथा तेजाराम के चारों पुत्रों में तेजाराम व भोलाराम की विरासत निहित हुई है तथा तेजाराम का पुत्र काना भी लाओलाद फौत हुआ है, इस कारण वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा भज्जा का 1/3 हिस्सा हगामा का, 1/3 हिस्सा शोभा लाल का है, तदनुसार ही शोभालाल के वारिसान नाथु, पुखराज एवं दुर्गा का 1/3 हिस्सा, भज्जा के वारिसान गणपत, पुरण, सीता व बदामी का 1/3 हिस्सा तथा हगामा के वारिसान गीता व पारस का 1/3 हिस्सा निहित है। तदनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। गणपत, पुरण, सीता पिता भज्जा, बदामी पत्नी भज्जा, पारस पिता हगामा व गीता पत्नी हगामा ने आराजी संख्या 2865, 2866, 2867, 2881 कुल कित्ता 04 रकबा 0.30 है0 में से अपना 2/3 हिस्सा कृष्णगोपाल पिता कुन्दनमल नाई को विक्रय कर दिया है, इस बाबत नामान्तरण संख्या 1651 दिनांक 30.05.2016 को खोला गया है। इसी प्रकार गणपत, पुरण, सीता पिता भज्जा, बदामी पत्नी भज्जा, पारस पिता हगामा व गीता पत्नी हगामा ने आराजी संख्या 2874 रकबा 0.23 है0 में से अपना 2/3 हिस्सा रेस्पोजेण्ट संख्या 07 चांदमल पिता जब्बू गुर्जर को विक्रय कर दिया है। इस बाबत नामान्तरण संख्या 1652 दिनांक 30.05.2016 को खोला गया है। दोनो ही नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर




अति जिला कलेक्टर
भिलवाड़ा

करनी चाहिये थी, न की सेल डीड की। सिविल कोर्ट व अपील मेमों में गोदनामें का कहीं को जिक्र व अंकन नहीं हैं। काई प्लीडिंग भी नहीं हैं। गोदनामें का निर्णय भी सिविल कोर्ट द्वारा किया जाता हैं, रेवेन्यु कोर्ट द्वारा नहीं। अतः निवेदन है कि अपील अपीलाण्टगण खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त आराजियात का नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पर खोला हैं, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। गोदनामा का निर्णय सिविल कोर्ट किया जावेगा। अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि नामान्तरकरण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खोला गया है तथा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरण में नायब तहसीलदार बदनौर की कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है, क्योंकि नामान्तरण रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खोला गया है, विरासत के आधार पर नहीं खोला गया है। दौराने बहस अपीलाण्टगण के अधिवक्ता ने गोदनामें का जिक्र किया हैं, किन्तु शोभा लाल कब भोलाराम के गोद गया तथा कब भोलाराम व उसकी पत्नी चन्द्री ने उसे गोद लिया व कब तेजाराम व उसकी पत्नी ने शोभालाल को गोद दिया ऐसे कोई तथ्य अपील में वर्णित नहीं किये है अर्थात् गोद लेने-देने की रस्म के बाबत कोई तथ्य अपील में वर्णित नहीं किया है। केवल मात्र सजरे में शोभालाल को भोलाराम का गोद पुत्र बताकर यह अपील प्रस्तुत की है, जबकि गोदनामे बाबत कोई तथ्य अपील में वर्णित नहीं किये है। यह अपील रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खोले गये नामान्तरण के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जबकि पंजीकृत विक्रय विलेख को अपास्त किये बाबत् इस न्यायालय से निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। सिविल कोर्ट प्रकण संख्या 39/16 मु.दी. में विपक्षी पक्षकार नही थे। सेल डीड के आधार पर नामान्तरकरण खोला गया जो सही प्रतीत होता है। हमीरा के नाम कोई रिकार्ड व जमाबंदी पत्रावली पर उपलब्ध नही हैं। सिविल कोर्ट व अपील मेमों में गोदनामें का कहीं को जिक्र व अंकन नहीं हैं। कोई प्लीडिंग भी नहीं हैं। गोदनामें का निर्णय भी सिविल कोर्ट द्वारा किया जाना हैं, रेवेन्यु कोर्ट द्वारा नहीं। अपीलार्थी ने अपील मेमों में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजियात पर अपीलार्थी का कब्जा है, इस बाबत् अपीलार्थी ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये किन्तु प्रस्तुत शपथ पत्र न तो तहसीलदार एवं न ही पंचायत द्वारा तस्दीक कराये गये, जिससे अपीलार्थी द्वारा कब्जे बाबत् प्रस्तुत शपथ पत्र इस



अति जिला कलक्टर
जोलावाडी


प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। उपरोक्तानुसार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अपीलान्ट मात्र कब्जे का कथन अंकित करते हुए एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को खारिज कराकर विपक्षी के नाम दर्ज प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1651 को खारिज कराना चाहता हैं, जो विधि अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार बदनोर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला क्लर्क,
भीलवाड़ा